सोनकच्छ, जिला देवास म.प्र.

27.07.2019 आवेदक/अभियुक्त सुनील की ओर से श्री मोहन मालवीय अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री अर्जुन सिंह ठाकुर उपस्थित।

प्रकरण जमानत आवेदन पर तर्क एवं अभिलेख प्राप्ति हेतु नियत है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती रूचितासिंह गुर्जर के न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 338/19 पुलिस थाना पीपलरांवा विरूद्ध सुनील आदि, जो थाना

27.7.19

ओ. पी. रघुवंशी
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

पीपलरांवा के अपराध क्रमांक 141/19 धारा 394/34, 201, 120-बी भा.दं.सं. से उद्‌भूत है, का मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता श्री मोहन मालवीय द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 439 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त उपबंध के अंतर्गत प्रस्तुत यह प्रथम आवेदनपत्र है। इसके अलावा अन्य कोई भी जमानत हेतु आवेदनपत्र इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन व निराकृत नहीं है। उक्त तथ्यों के समर्थन में शपथकर्ता मांगीलाल पिता मांगीलाल, निवासी ग्राम पिरपाडल्या का शपथपत्र पेश किया है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन इस आधार पर किया गया है कि उसे पुलिस पीपलरांवा ने कथित अपराध के संबंध में गिरफ्तार कर जे.एम.एफ.सी. सोनकच्छ के न्यायालय में पेश किया था, जहॉ से उसे जेल भेज दिया गया है, वह दिनांक 08.05.2019 से जेल में बंद है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसका उक्त अपराध से किसी भी प्रकार का कोई लेना-देना नहीं है। प्रकरण के निराकरण में विलंब होने की प्रबल संभावना है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदन पत्र का लिखित जवाब न देकर मौखिक विरोध कर तर्क किया है कि अपराध लूट की गंभीर घटना से संबंधित है। आवेदक से लूटे गये रूपयों की जप्ती हुई है व पहचान भी लूट करने वाले व्यक्ति के रूप में की गई है। जमानत का लाभ दिये जाने पर फरार होने की संभावना है। अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से दर्शित है कि फरियादी पिंटू ने दिनांक 06.05.19 को पुलिस थाना पीपलरांवा में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई कि वह अपनी मोटरसायकल से पाडलिया से घट्टियाकलां जा रहा था,

(ओ. पी. रघुवंशी)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

Scanned with CamScanner

II—156
C.J.

(3)

Order Sheet [Contd]

Case No. BA 456/19 of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	तभी दो व्यक्तियों ने उसे रोककर मारपीट की और उसका बैग, जिसमें 45,849/- रूपये रखे थे, लूट लिया व उसका मोबाईल एवं सैमसंग कंपनी का टैबलेट भी छिनकर ले गये। इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना पीपलरावां में अपराध क्रमांक 141/2019 धारा 394/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दर्ज हुआ। अभिलेख के अनुसार आवेदक/अभियुक्त संजय से लूटे गये रूपये बरामद हुये हैं, उसकी पहचान भी लूट कारित करने वाले व्यक्ति के रूप में होना दर्शित है। अपराध लोकमार्ग पर मारपीट करतें हुये लूट कारित करने से संबंधित है, केवल इस कारण कि अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, उसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। जमानत का लाभ दिये जाने पर उसके फरार होने व साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अपराध के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को विचार में लेने के उपरांत आवेदक/अभियुक्त सुनील की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 **निरस्त** किया जाता है। आदेश की प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख में संलग्न कर अभिलेख वापस किया जावें। जमानत प्रपत्र का परिणाम पंजी में दर्ज कर समयावधि में अभिलेखागार किया जावे। 27.7.19 (ओ.पी. रघुवंशी) द्वितीय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ जिला देवास, म.प्र.	

Scanned with CamScanner